# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 64/2023

1. गोरा देवी पत्नि भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम माच्छरखानी तहसील जोबनेर — अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर तहसील जोबनेर
2. गोरा देवी पत्नि सुखा जाति कुम्हार निवासी ग्राम माच्छरखानी तहसील जोबनेर
3. आन्दीलाल पुत्र सुखा जाति कुम्हार निवासी ग्राम माच्छरखानी तहसील जोबनेर — रैस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1884 दिनांक 21/08/2023
ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर तहसील जोबनेर

1. श्री रामावतार सिंह वकील अपीलान्ट

दिनांक :— 10/01/2024

## निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 1529/5.90 बांके ग्राम माच्छरखानी तहसील जोबनेर में स्थित है। जिसमें अपीलान्ट गोरा देवी पत्नि भंवरलाल का 1/63 हिस्सा तथा गोरा देवी पत्नि सुखा, कमला, विमला, कानी, भगवती पिता सुखा का 5/324 हिस्सा एवं आन्नदीलाल पुत्र सुखा का 1/324 हिस्सा दर्ज था। सुखा के वारीसान गोरा देवी पत्नि सुखा, कमला, विमला, कानी, भगवती पिता सुखा ने अपना 5/324 हिस्से का हकत्याग आन्नदीलाल पुत्र सुखा को दिनांक 11.08.2023 को करा दिया था। हकत्याग के पश्चात दाखिला खारिज हेतु जब रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया तो रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दाखिल खारिज दर्ज करते समय मुताबिक हकत्याग गोरा देवी पत्नि सुखा, कमला, विमला, कानी, भगवती पिता सुखा के 5/324 के स्थान पर गोरा देवी पत्नि भंवरलाल का 1/63 हिस्सा का हकत्याग का दाखिला इन्द्राज कर दिया गया था। जिससे आन्नदीलाल पुत्र सुखा का हिस्सा 1/54 के स्थान पर 71/2268 हो गया। जो काबिले निरस्तनीय है। अपीलान्ट को गलत इन्द्राज की जानकारी दाखिल खारिज की नकल प्राप्त करने पर हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील जानकारी से अन्दर म्याद पेश है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त दाखिल खारिज विधि की सुस्थापित नियमों, कानूनो के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्राकृतिक सिद्धातों के विपरीत दर्ज किया है। जो काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर दाखिल खारिज संख्या 1884 दिनांक 21/08/2023 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार, जोबनेर ने भी रिपोर्ट इस आशय की पेश कि है कि खसरा संख्या 1529 में गोरा देवी पत्नि सुखा, कमला, विमला, कानी, भगवती पिता सुखा द्वारा आन्नदीलाल पुत्र सुखा को 5/324 हिस्से का हकत्याग किया गया था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा गोरा देवी पत्नि भंवरलाल का 1/63 हिस्सा का हक त्याग का नामांतरण दर्ज कर दिया गया है। जबकि गोरा देवी पत्नि भंवरलाल द्वारा कोई हक त्याग नहीं कराया गया है।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड तथा तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 1884 दिनांक 21/08/2023 को खारिज करने का निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर द्वारा यह नामान्तरण रजिस्ट्रर्ड हकत्याग के आधार पर खोला गया है। रजिस्ट्रर्ड हकत्याग में स्पष्ट रूप से गोरा देवी पत्नि सुखा, कमला, विमला, कानी, भगवती पिता सुखा द्वारा आन्नदीलाल पुत्र सुखा को 5/324 हिस्से का हकत्याग करने का वर्णन है। परन्तु ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर द्वारा नामान्तरण तस्दीक करते समय खसरा संख्या 1529 पर गोरा देवी पत्नि सुखा हिस्सा 1/324 के स्थान पर गोरा देवी पत्नि भंवरलाल का 1/63 हिस्सा का हक त्याग का नामांतरण दर्ज कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर द्वारा नामान्तरण तस्दीक करते समय भारी भूल की गई है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार, जोबनेर की रिपोर्ट क्रमांक 4405 दिनांक 15.12.2023 से होती है। अतः नामान्तरण संख्या 1884 दिनांक 21/08/2023 को खारिज किया जाना उचित है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1884 दिनांक 21/08/2023 सरपंच ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो पुनः रजिस्ट्रर्ड हकत्याग की जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 10/01/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय मण्डल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण).